

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या - 12/2024 वाद

GCMS No. - 2024/15

1. रोशनलाल पुत्र पन्नालालजी खटीक निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र पन्नालालजी खटीक निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. कुसुम पुत्री सत्यनारायण जी मेघवाल निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
3. दाखीबाई पत्नी सत्यनारायण जी मेघवाल निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
4. हरिओम पुत्र सत्यनारायण जी मेघवाल निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा।
5. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा, तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव - अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक :- 06.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा ढोरिया पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित खाता संख्या 295 की आराजी नंबर 325 रकबा 0.4700 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 20.06.2024 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने दिनांक 15.07.2024 को बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. रोशनलाल पिता छगनलाल मेघवाल सा. भादररोड़ चित्तौड़गढ़ खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) किस्म लगान
325 पूर्वी दिशा 0.2350 चाही 2 5.99

कुल किता-1 0.2350 5.99

2. श्री रामलाल पिता पन्नालाल खटीक सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) किस्म लगान
325 मध्य 0.20 चाही 2 5.10

किता-1 0.20 5.10

3. श्री हरिओम, कुसुम पिता सत्यनारायण, मु. दाखीबाई पत्नी स्व. सत्यनारायण



तहसीलदार निम्बाहेडा ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1. रौशनलाल पिता छगनलाल मेघवाल सा. भादररोड़ चित्तौड़गढ़ खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
325 पूर्वी दिशा 0.2350 चाही 2 5.99

कुल किता-1 0.2350 5.99

2. श्री रामलाल पिता पन्नलाल खटीक सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
325 मध्य 0.20 चाही 2 5.10


किता-1 0.20 5.10


3. श्री हरिओम, कुसुम पिता सत्यनारायण, मु. दाखीबाई पत्नी स्व. सत्यनारायण
मेघवाल सा.देह खातेदार
आराजी न. रकबा (हैक्टयेर) किस्म लगान
325 पश्चिम 0.0350 चाही 2 0.90

कुल किता-1 0.0350 0.90

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा